



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129118

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 16336 वर्ष 2026

प्रफुल्ल यादवआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : जय किशन, विपिन कुमार

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. आज दाखिल किया गया अनुपूरक शपथ पत्र पत्रावली पर लिया जाता है।
3. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र, आवेदक द्वारा मुकद्दमा अपराध संख्या 371 वर्ष 2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 115(2), 351(3), 109, 140(1), 117(2), थाना कोतवाली नगर, जिला एटा में जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क देते हैं कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तों, नामतः किशन गुप्ता, आंशु गुप्ता उर्फ आशीष

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गुप्ता उर्फ रितिक गुप्ता, मयंक वर्मा उर्फ गोल्डी, सुमित यादव और आर्यन कुमार यादव को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा क्रमशः दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 30203 वर्ष 2025, 31248 वर्ष 2025, 40199 वर्ष 2025, 30872 वर्ष 2025 और 9757 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 6.1.2026, 11.3.2026, 20.3.2026, 23.3.2026 और 30.3.2026 के माध्यम से जमानत प्रदान की गई है। वह आगे तर्क देते हैं कि अपराधिक इतिहास को जमानत प्रार्थना पत्र के पैराग्राफ संख्या 16 में अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है और वह 14.7.2025 से जेल में निरुद्ध है।

5. दूसरी ओर, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया, हालाँकि, वह इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तों, नामतः किशन गुप्ता, आंशु गुप्ता उर्फ आशीष गुप्ता उर्फ रितिक गुप्ता, मयंक वर्मा उर्फ गोल्डी, सुमित यादव और आर्यन कुमार यादव को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की गई है।
6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और पत्रावली पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।
7. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तों, नामतः किशन गुप्ता, आंशु गुप्ता उर्फ आशीष गुप्ता उर्फ रितिक गुप्ता, मयंक वर्मा उर्फ गोल्डी, सुमित यादव और आर्यन कुमार यादव को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की गई है और उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त या स्थगित नहीं किया गया है, तथा आवेदक 14.7.2025 से जेल में निरुद्ध है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।
8. जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
9. उपर्युक्त मुकद्दमा अपराध में संलिप्त आवेदक- प्रफुल्ल यादव को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उसी समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व, प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाए:

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि, विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार, उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले के आरंभ होने, (2) आरोप तय होने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज होने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का विकल्प खुला रहेगा।

10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

25 जून, 2026

ललित शुक्ला

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"